

नन्ही परी कार्यक्रम

हाल ही में उत्तर-पश्चिमी दिल्ली ज़िला प्रशासन द्वारा 'नन्ही परी' (Nanhi Pari) कार्यक्रम शुरू किया गया।

कार्यक्रम के बारे में:

- **परिचय:**
 - 'नन्ही परी' कार्यक्रम माता-पति को दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिये विभिन्न कार्यालयों में जाने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए एक स्थान पर समाधान प्रदान करने की एक योजना है।
- **उद्देश्य:**
 - इस कार्यक्रम का उद्देश्य माँ और बच्ची को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करना, आधार कार्ड पंजीकरण कराना तथा ज़िले के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली लड़कियों के मामले में खाता खोलने जैसी आवश्यक सेवाओं को पूरा करना है।
 - इसके अन्य उद्देश्यों में बालिकाओं और माताओं के लिये [सुकन्या समृद्धि खाता योजना](#), [लाडली योजना](#) और [प्रधानमंत्री मातृ बंधना योजना](#) जैसी योजनाओं के लिये अस्पताल में ही पंजीकरण करवाना भी शामिल है।
 - इनमें से अधिकांश योजनाओं का मूल उद्देश्य बालिकाओं के जीवन की रक्षा करना और उनके लिये एक सुरक्षित वातावरण तथा शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है।
 - योजनाएँ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचें और बालिकाओं के हितों की रक्षा करें यह सुनिश्चित करने के अलावा कार्यक्रम का उद्देश्य [संस्थागत प्रसव](#) को बढ़ावा देना भी है।
- **महत्त्व:**
 - यह सभी बच्चों और माताओं के लिये [योजनाओं की प्रक्रिया को यथासंभव सरल बनाता है।](#)
 - इससे माता-पति को आवश्यक योजनाओं का लाभ उठाने के लिये परेशान नहीं होना पड़ेगा।

संस्थागत प्रसव:

- इसका अर्थ है प्रशिक्षित और सक्षम स्वास्थ्यकरमियों की समग्र देख-रेख में एक चिकित्सा संस्थान में बच्चे को जन्म देना।
- यह स्थिति को संभालने एवं माँ और बच्चे के जीवन को बचाने के लिये सुविधाओं की उपलब्धता का भी प्रतीक है।

अन्य संबंधित पहलें:

- [जननी सुरक्षा योजना \(JSY\)](#)
- [जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम \(JSSK\)](#)
- [प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान \(PMSMA\)](#)
- [लक्ष्य \(प्रसूतिकक्षम गुणवत्ता सुधार पहल\)](#)
- [पोषण अभियान](#)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस